अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2011

सा.का.नि. 212.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रूफ रीडर, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भर्ती नियम, 1987 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

- 1. (1) इन नियमों का नाम प्रूफ रीडर, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भर्ती (संशोधन) नियम, 2010 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. प्रूफ रीडर, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भर्ती नियम, 1980 में दी गई अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :---

	-			अनुसूची			
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-बैंड और ग्रेड पे/वेतनमान	क्या सलैक्शन पद है या नान- सलैक्शन पद है	सीधी भर्ती के लि	ए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिवित सेवा (पेंशन) नियम, 1972 नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)
	01* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200— 20200 रु., तथा 2800 रु. ग्रेड पे	होता	18 और 25 वर्ष क (केन्द्रीय सरकार ह पर जारी अनुदेश अनुसार सरकारी लिए 35 वर्ष तक टिप्पण : आयु करने के लिए ि (अण्डमान और निर् तथा लक्षद्वीप में उ छोड़कर) भारत उम्मीदवारों से आवेद की अन्तिम तारीख कार्यालय के माध्यम मामले में आयु-सीमा के लिए निर्णायक त जिस तक रोजगार का भेजे जाने के लिए व	ारा समय-समय ारा समय-समय ार्या आदेशों के कर्मचारियों के छूट)। -सीमा निर्धारित नेणायक तारीख कोबार द्वीपसमूह हिने वालों को में रहने वाले न पत्रों की प्राप्ति होगी। रोजगार से नियुक्ति के निर्धारित करने ।रीख वह होगी ।यांलयों से नाम	नहीं
ोधे भर्ती किए उ था अन्य योग्यत	गाने वाले व्यक्तियो गएं	ों के लिए आवश्य	क शैक्षिक	व्यक्तियों के और शैक्षिक	किए जाने वाले लिए निर्धारित आयु वोग्यताएं पदोन्नति में पर भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अव	धि, यदि कोई हो
(8)			(9)		(10)		
निवार्य : न्यताप्राप्त या समकक्ष विश्वविद्यालय की डिग्री जिसमें अंग्रेजी र हिंदी विषय रहे हों और प्रूफ रीडिंग की कला में निपुण हों ।			लागू नहीं होता		2 वर्ष (केवल सी वाले व्यक्तियों के	ाधे भर्ती किए जाने लिए)	

(8)

- (i) इस क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव।
- (ii) संस्कृत का ज्ञान ।
- (iii) केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा आयोजित अनुवाद कार्य में 3 महीने का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा किया हो ।

टिप्पण 1 : अन्यथा भली-भांति योग्य उम्मीदवारों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के स्व निर्णय से योग्यताओं में छूट दी जा सकती है।

टिप्पण 2 : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के मामले में कारण लिखित में रिकार्ड कर कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी अपने स्व निर्णय से अनुभव के संबंध में छूट दे सकता है यदि चयन के किसी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी का यह मत हो कि अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवार समुचित संख्या में उपलब्ध नहीं हैं।

भर्ती की तरीका : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में जिन ग्रेडों से पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है

(12)

(11)

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/स्थानान्तरण, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/स्थानांतरण:

केन्द्रीय सरकार के अधिकारी :—

- (क) (i) जो समतुल्य पदों पर हों या पी बी-1 के किसी पद पर 5200-20200 रु. तथा 2400 ग्रेड पे में 5 वर्ष से नियमित सेवा में हों और
- (ख) (ii) कॉलम 8 में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यताएं तथा अनुभव रखते हों।
 - (iii) (प्रतिनियुक्ति की अवधि उसी या किसी अन्य विभाग/संगठन में इस नियुक्ति से तत्काल पहले किसी अन्य संवर्ग बाह्य पर पर प्रतिनियुक्ति की अवधि समेत साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

यदि कोई विभागीय पदोन्ति समिति है, तो उसका गठन क्या है?

भर्ती के समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक है

(13)

(14)

समूह 'ग' विभागीय पदोन्तित समिति (स्थायी करने पर विचार करने के लिए):-

लागू नहीं होता।

1. उप सचिव/निदेशक (प्रभारी-प्रशासन), गृह मंत्रालय

-अध्यक्ष

2. निदेशक (अनुसंधान)/राजभाषा विभाग

—सदस्य

3. एक अवर सचिव, अच्छा हो यदि वह अनुसूचित जाति —सदस्य अथवा अनुसूचित जनजाति समुदाय का हो, बाद में नामित किया जाएगा

4. अवर सचिव (प्रभारी-प्रशासन), गृह मंत्रालय

--सदस्य

[फा. सं. ए-12018/01/2010-प्रशा.-V] अरविन्द मुखर्जी, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2011

- G.S.R. 212.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Proof Reader, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Recruitment Rules, 1987, namely:—
- 1. (1) These rules may be called the Proof Reader, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Recruitment (Amendment) Rules, 2010.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Proof Reader, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Recruitment Rules, 1980, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:—

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether Selection post or Non- selection post	Age limit for direct recru	of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Proof Reader	1* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	PB-1, Rs. 5200—20200 with the Grade Pay Rs. 2800	Not - applicable	Between 18 and 25 years (Relaxable up to 35 years for Government servants in accordance with the instructions or order issued by the Centra Government from time to time. Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicoba Islands or lakshadweep) In case of appointment through employment exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employemnt Exchanges are asked to submit the names.	s s s s s s s s s s s s s s s s s s s
Educational and other qualifications required for direct recruits				Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees Period of probation, if any qualifications prescribed for direct recruitment will apply in		
(8)				(9	9)	(10)
Essential: A Degree with English and Hindi as subjects from a recognized University or equivalent and conversant with the art of Proof reading.				Not ap	plicable 2 years	(for direct recruits only).

2712 HA/11-7

(8)

Desirable:

- (i) Practical experience in the field:
- (ii) Knowledge of Sanskrit;
- (iii) Completed the 3 months training course in translation work conducted by the Central Translation Bureau.

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/ Competent Authority in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2: The qualifications regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority, for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission/Competent Authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be be filled by various methods

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made

(12)

(11)

Transfer on deputation/transfer failing which by direct recruitment

Transfer on deputation/Transfer:

- 1. Officers of the Central Government:
- (i) Holding analogous posts or with five years regular service in a post in PB-1, Rs. 5200-20200 with the Grade Pay of Rs. 2400; and
 - (ii) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits in column 8.
 - (iii) (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other department/ organisation shall ordinarily not exceed 3 years).

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(13)

(14)

Not applicable.

Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering Confirmation) :-

- 1. Deputy Secretary/Director, MHA (in-charge of Admn.) —Chairman
- 2. Director (Research), Department of Official Language —Member
- 3. An Under Secretary preferably from Scheduled Castes —Member or Scheduled Tribes community to be nominated later
- 4. Under Secretary (in-charge of Admn.), MHA

—Member